

**प्रपत्र-10**  
**अनुसूची-3 क्रमांक 9 (क)**  
**शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी हेतु प्रमाण पत्र #**

क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी...../पुत्र श्री (पिता).  
..... एवं श्रीमति..... (माता) स्थान....., तहसील.....  
....., जिला..... (मध्यप्रदेश) जो प्रवेश परीक्षा नीट यू0जी0 के परिणाम के आधार  
पर (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है एवं वह मध्यप्रदेश  
राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 10  
मई 2023 में उल्लेखित नियम 2(ब)\* की अपेक्षा पूर्ण करता/ करती है।

**हस्ताक्षर**

नाम.....

स्थान.....

**पदमुद्रा**

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला संयोजक/सहायक आयुक्त

**नोट-**

# मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)में प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन  
दिनांक 10 मई 2023 में उल्लेखित **नियम 2-**

“(फ) “शासकीय विद्यालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय  
विद्यालय”,

\* मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)में प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन  
दिनांक 10 मई 2023 में उल्लेखित **नियम 2-(ब)**

“शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी” से अभिप्रेत है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय  
विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो  
अथवा शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से  
8वीं तक निजी महाविद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात् शासकीय विद्यालय में  
कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।